राजस्व वाद संख्या 105 / 2021
GCMS NO. 2021 / 169
सायरा बनाम शिवभगवान वगै0
आदेश दिनांक 02.07.2025

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 105 / 2021
GCMS NO. 2021 / 169

सायरा पत्नी मोहम्मद रमजान जाति मुसलमान व्यापारी निवासी वार्ड न0 1 झुन्झुनू तहसील व जिला झुझुनूं।

– प्रार्थीया

बनाम

1. शिवभगवान पुत्र मोहनलाल जाति सुनार निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
2. दयानंद पुत्र पुत्र मोहनलाल जाति सुनार निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. सुरजमल पुत्र मोतीलाल जाति सुनार निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
4. असगर अली पुत्र मोहम्मद सुभान जाति मुसलमान व्यापारी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
5. आबिद अली पुत्र हनीफ सयैद जाति मुसलमान व्यापारी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
6. प्रेमकुमार पुत्र हनुमानाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी बागा पड़तान तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
7. रियाज मोहम्मद पुत्र जाफर जाति काजी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
8. समशाद अली पुत्र असरफ अली जाति कायमखानी निवासी पीथूसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
9. शमशेर अली पुत्र जाफर जाति काजी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
10. राजकीय महाविद्यालय मलसीसर जरिये प्राचार्य
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुझुनूं।

– अनावेदकगण

वकील आवेदक – श्री विजयसिंह लालपुरिया
वकील अनावेदकगण–

प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान किये जाने पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 02.07.2025

संक्षेप में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम मलसीसर पटवार हल्का मलसीसर में भूमि हाल ख.न. 957 रकबा 3.14 हैक्टर व ख.न. 960 / 1138 रकबा 0.66 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.80 हैक्टर अवस्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीया की एकल खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जिस पर प्रार्थीया काबित काश्त है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 प्रार्थीया की भूमि के पड़ौसी खातेदार काश्तकार है। आवेदिका की भूमि ग्राम मलसीसर की आबादी के समीप होने के कारण आवारा पशुओं का खतरा हमेशा बना रहता है जिससे आवेदिका को अपने

407

राजस्व वाद संख्या 105 / 2021
GCMS NO. 2021 / 169
सायरा बनाम शिवभगवान वगै0
आदेश दिनांक 02.07.2025

खेत में फसल काश्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिये आवेदिका अपनी उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया की उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अनावेदक संख्या 1 लगायत 4 स्वयं उपस्थित आये नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने में इन्हे कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 10 बाद तामील अनुपस्थित। अनावेदकगण की तामिल विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्दि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 5 लगायत 10 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाबदेही पूर्ण होने के उपरान्त बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता आवेदिका ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थीया की भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुरोध किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदिका के प्रार्थना पत्र एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। आवेदिका अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी करवाना चाहती है जो न्यायसंगत है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 नियमानुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने में सहमत है। तमाम साक्ष्य सबूतों, दस्तावेजों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता के प्रकाश में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम मलसीसर स्थित भूमि ख0न0 957, 960 / 1138 कुल किता 2 कुल रकबा 3.80 है0 भूमि का प्रार्थीया के आवेदन पर नियमानुसार सीमाज्ञान कर प्रार्थीया का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर